नकल आदेश दिनांक 09/02/22 न्यायालय उप जिलाधिकारी केराकत जौनपुर वाद संख्या - 47 धारा - 143 ज० वि० अधि० मौजा बन्धवल परगना केराकत तहसील केराकत जिला जौनपुर / साधु सिंह चौहान — बनाम — सरकार तारीख फैसला - 09/02/22

आदेश प्रेषित किया जाना

नायब तहसीलदार
तहसील केराकत, जौनपुर

तहसीलदार
केराकत-जौनपुर

... कुमार
रा० नि०
त० केराकत, जौनपुर

उप जिलाधिकारी
केराकत, जौनपुर

न्यायालय उप जिलाधिकारी, केराकत, जौनपुर

वाद संख्या- 47 धारा - 143 ज०वि०अधि०

मौजा-बन्धवा, परगना-केराकत, तहसील केराकत

साधु सिंह चौहान --- बनाम --- सरकार

निर्णय

साधु सिंह चौहान पुत्र विभूति चौहान मौजा- बन्धवा, परगना व तहसील केराकत जिला जौनपुर के आराजी संख्या 80/0.142 हे०, 81/0.295 हे०, 114/0.089 हे०, 115/0.166 हे०, 136/0.134 हे०, 174/0.223 हे०, 106/3055/0.243 हे०, 19/0.093 हे०, 20/2/0.089 हे० के बावत धारा-143 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत इस अभिकथन के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी ने भूमि संख्या 80, 81, 114, 115, 136, 174, 106/3055, 19, 20/2 में बैनामा लेकर अपना नाम दर्ज करा लिया और प्रश्नगत भूमि पर भूमिधर है। इस प्रकार भूमि का प्रयोजन अकृषिक है, परन्तु बार-बार अनुरोध करने पर भी लेखपाल ने अकृषिक भूमि नहीं किया कि गाटा सं० 80, 81, 114, 115, 136, 174, 106/3055, 19, 20/2 ग्राम बन्धवा, परगना केराकत, मुताबिक बैनामा व स्थल भूमि अकृषिक घोषित किया गया।

उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में तहसीलदार केराकत से नियत प्रारूप में आख्या प्रेषित की है, जो संलग्नक पत्रावली है।

तहसीलदार केराकत ने इस आशय की आख्या प्रेषित किया है कि भू-खण्ड 80, 81, 114, 115, 136, 174, 106/3055, 19, 20/2 ग्राम बन्धवा, परगना केराकत, तहसील केराकत, जिला जौनपुर साधु सिंह चौहान पुत्र विभूति चौहान के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त भू-खण्ड के 80, 81, 114, 115, 136, 174, 106/3055, 19, 20/2 पर भूमिधरी है। आराजी निजाई बोई-जोती नहीं जाती है। उक्त भूमि मौके पर अकृषिक है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार केराकत की आख्या दिनांक 04.02.2022 स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः

316
तहसीलदार
केराकत
सम्प्रेषित
उप जिला अधिकारी
केराकत

कार्यालय तहसीलदार जौनपुर (उ०प्र०)

आदेश

ग्राम-बन्धवा, परगना व तहसील केराकत, जिला जौनपुर के आराजी संख्या 80, 81, 114, 115, 136, 174, 106/3055, 19, 20/2 भूमि मालगुजारी मुताबिक 60ख कृषि से भिन्न प्रयोजन भूमिधर बन्धवा जरिये साधु सिंह चौहान पुत्र विभूति चौहान निवासी बन्धवा, प्रयुक्त होना घोषित केराकत, जौनपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

S87
DK
रजि० कानूनगो
सतीश कुमार
तह० केराकत, जौनपुर
लेखपाल
तह० केराकत, जौनपुर
12/05/22

07/02/22
उपजिलाधिकारी
केराकत, जौनपुर